महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – बहत्तरवां संस्करण (माह जनवरी, 2022)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. कान्हा में बहार–कोदो कुटकी तिहार
3. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
4. नवादपुरा नवाचार और सांवरिया
5. प्रधानमंत्री आवास ने बदली मूकबधिर एवं श्रवणबाधित कल्याणी महिला की जिंदगी
6. आजीविका के माध्यम से स्थिति हुई सुदृढ़
7. सफलता की कहानी
8. वृक्षारोपण गीत
9. मानव जीवन एवं पर्यावरण
10. पीढ़ी अंतराल क्या ?

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री उमाकांत उमराव (IAS)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का बहत्तरवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2022 का प्रथम मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में ''एक जिला–एक उत्पाद'' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जिला प्रशासन मंडला द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के मंडला जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय अभ्यारण ''कान्हा–किसली'' के समीप ग्राम पंचायत मोचा के परिसर में ''कान्हा में बहार–कोदो कुटकी तिहार'' उत्सव दिनांक 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2021 तक की अवधि में आयोजित किया गया, जिसे **''कान्हा में बहार–कोदो कुटकी तिहार''** समाचार आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

इसके साथ–साथ **''पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996''**, **''नवादपुरा नवाचार और सांवरिया''**, **''प्रंधानमंत्री आवास ने बदली मूकबधिर एवं श्रवणबाधित कल्याणी महिला की जिंदगी''**, **''आजीविका के माध्यम से स्थिति हुई सुदृढ़''**, **''सफलता की कहानी''**, **''वृक्षारोपण गीत''**, **''मानव जीवन एवं पर्यावरण''** एवं **''पीढ़ी अंतराल क्या ?''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

''कान्हा में बहार–कोदो कुटकी तिहार''

उत्सव का आयोजन

मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में ''एक जिला–एक उत्पाद'' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

जिला प्रशासन मंडला द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के मंडला जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय अभ्यारण ''कान्हा–किसली'' के समीप ग्राम पंचायत मोचा के परिसर में ''कान्हा में बहार–कोदो कुटकी तिहार'' उत्सव दिनांक 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2021 तक की अवधि में आयोजित किया गया।

बैगा एवं आदिवासी संस्कृति की झलक

कोदो कुटकी तिहार उत्सव की थीम बैगा एवं आदिवासी संस्कृति पर आधारित थी। कार्यक्रम स्थल में परिधान, नृत्य, संगीत के माध्यम से बैगा, आदिवासी जीवन की झलक देखने मिली। कार्यक्रम में आदिवासी विकास विभाग द्वारा जनजातीय कलाकारों के माध्यम से लोक संगीत एवं लोकनृत्य प्रस्तुत किये गये। मेले में आदिवासी समुदाय के कला और संस्कृति की झलक स्पष्ट देखने को मिली।

गौंडी पेंटिंग

विभिन्न विभागों के द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी मेला स्थल पर लगाई गई। आदिवासी जीवन की झलक प्रस्तुत करने वाले गौंडी पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया। जिला मंडला एवं आसपास के जिलों के कलाकारों द्वारा आदिवासी पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया। **''कोदो–कुटकी'' फसल की जानकारी**

कृषि विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत चयनित ''कोदो–कुटकी'' फसल की बोनी से लेकर प्रोसेसिंग, पौष्टिकता तथा अलग–अलग उत्म्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

उत्सव में समूहों के उत्पादों को पसंद किया गया

कोदो कुटकी तिहार उत्सव में कोदो कुटकी के उत्पाद एवं गौंडी पेंटिंग कला के प्रदर्शन के साथ–साथ अलग–अलग विभागों के स्टॉल लगाये गये। तिहार में विभिन्न विभागों के जैसे कृषि, रेशम, उद्यानिकी, आजीविका मिशन के अलग–अलग उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया।

स्थानीय उत्पाद व व्यजंन

मध्यप्रदेश आजीविका मिशन के स्व–सहायता समूहों द्वारा बनाये गये महुये के लड्डू, स्थानीय व्यजंनों पर आधारित मंडला थाली के स्टॉल लगाये गये।

मेले में स्थानीय अनुसूचित जनजाति द्वारा उत्पादित कृषि उत्पाद ''कोदो–कुटकी'' से बने व्यंजन रखे गये।

मंडला ब्लॉक के समूहों द्वारा तैयार किये गये महुआ के लड्डू, अलसी के और गोंद के लड्डू, आकर्षण का केंद्र रहे।

समूहों द्वारा बनाये गये झाड़ू, जूट से बनी सामग्री, बड़ी अचार के स्वाद की चर्चा चहु ओर हो रही है।

दीदी कैफे

उत्सव में दीदी कैफे द्वारा बनाये गये व्यंजन भी मेले में शामिल किये गये। बिछिया ब्लॉक का दीदी कैफे आकर्षण का केंद्र रहा। जिसने पर्यटक और अधिकारी कर्मचारियों को नए–नए व्यंजन बनाकर परोसा। जिससे समूहों की दीदियों को आय का साधन भी बना। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वसहायता समूह की

दीदियों द्वारा चलाए जा रहे दीदी कैफे के व्यंजनों की पूरे मेले में धूम रही।

हर्बल पेय

मंडला की आदिवासी संस्कृति एवं वन आधारित जीवन पद्धति के माध्यम से अनेक हर्बल पेय भी कोदो कुटकी तिहार कार्यक्रम में शामिल किये गये थे।

स्वसहायता समूह की दीदियों द्वारा तैयार किये गये हर्बल पेय को लोगों ने बहुत पसंद किया। समूहों द्वारा हर्बल पेय में आदिवासी इलाके में उपलब्ध विभिन्न सामग्री का उपयोग किया गया। हर्बल पेय की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इससे शारीरिक रूप से फायदा ही होता है नुकसान तो कतई नहीं।

दोना पत्तल का उपयोग

कान्हा नेशलन पार्क क्षेत्र में पॉलीथिन प्रतिबंधित है। पॉलीथिन की थैलियों का उपयोग पूरे उत्सव के दौरान नहीं किया गया। इसके स्थान उत्सव में आये लोगों को दोना–पत्तल में कोदो कुटकी व अन्य उत्पाद खाने को मिले और लोगों ने बड़े चाव से खाया।

उत्सव से समूहों का आर्थिक सशक्तीकरण

आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों को इस उत्सव से लगभग 10,000–00 रूपये की आय हुई। इसी प्रकार से दीदी कैफे से लगभग 30,000–00 रूपये की आय हुई। ग्राम दुकान में लगभग 11,500–00 रूपये के उत्पादों की बिक्री हुई। विभिन्न विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से लगभग 1,00,000–00 की से अधिक के उत्पादों की बिक्री की गई। इसी प्रकार से प्रवेश शुल्क के माध्यम से लगभग 20,000–00 रूपये की आय हुई।

कान्हा क्षेत्र के गाईड एवं होटल एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कोदो कुटकी तिहार जैसे स्थानीय उत्पादों एवं व्यंजनों पर आधारित कार्यक्रम को दीवाली, क्रिसमस अवकाश तथा नववर्ष के दौरान आयोजित करने की आवश्यकता बताई।

दीपावली त्यौहार स्पेशल फूड गिफ्ट पैकेटस

आजीविका मिशन मंडला अतंर्गत गठित स्वसहायता समूह की दीदियों द्वारा स्पेशल फूड गिफ्ट पैकेट तैयार किये गये हैं।

इस फूड पैक में स्वास्थवर्धक स्थानीय उत्पाद जैसे प्राकृतिक शहद, महुआ के लड्डू, महुआ की केडी, कोदो कुटकी, कोदो कुटकी के बिस्कीट रखे गये हैं।

इस उत्पाद के पैकेजिंग व विपणन की पूरी तैयारी कर ली गई है। यह फुड पैक आजीविका मिशन द्वारा आजीविका बिक्री केन्द्र में उपलब्ध कराये गये हैं। इसका मूल्य 399–00 रूपये रखा गया है। बाजार में समूह द्वारा बनाये गये इस फूड पैक भी बहुत मांग है।

उत्सव आयोजन पर अतिथियों के विचार

मडंला के जिला प्रशासन, आजीविका मिशन, कृषि विभाग, आदिवासी विकास विभाग के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागों के संयुक्त प्रयासों से आयोजित यह उत्सव अपने आप में अनोखी मिसाल बन गया है। जिला मडंला की कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोदो कुटकी तिहार उत्सव आयोजित किया गया।

उत्सव का शुभारंभ केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य सभा सांसद श्रीमति संपतिया उइके, विधायक श्री नारायण सिंह पट्टाके द्वारा किया गया।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हमारे पूर्वजों का खानपान बेहतर था। उनकी जीवनशैली को पर्यावरण पर आधारित व प्रदूषण रहित थी। हम सभी को स्वस्थ जीवन के लिए उनकी खानपान व जीवनशैली को अपनाना चाहिए। पूरी दुनिया भारत की जीवनशैली व खाद्यानों की तरफ लौट रही है। उन्होंने कहा कि परंपरागत अनाजों को अपनाते हुए इनसे रोजगार सृजन के लिए संभावनायें तलाशने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि, कोदो कुटकी तिहार के माध्यम से जिले के स्थानीय उत्पादों व व्यंजनों के बारे में पर्यटकों को बताया जा रहा है। उन्होंने महुए के लड्डू व कोदो कुटकी के उत्पादों की सराहना की। राज्य मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि, कोदो कुटकी के उत्पाद, गोंडी पेंटिगं व हर्बल पेय को बढ़ाना देने का यह अनूठा प्रयास है।

कोदो कुटकी तिहार के समापन के अवसर पर कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी, उपाध्यक्ष श्री शैलेष मरावी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुनील दुबे एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी, लोक कलाकार शामिल हुए।

मंडला जिला प्रशासन के अनुकरणीय प्रयास

मंडला जिले की कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने चर्चा में बताया कि एक जिला एक उत्पाद के तहत् कोदो–कुटकी एवं विभिन्न विभागों के उत्पादों का तिहार के माध्यम से प्रदर्शन किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसका सभी विभागों के समन्वय, जिलेवासियों, मीडिया तथा पर्यटकों के माध्यम से अच्छा प्रतिसाद मिला है। आगामी दिनों में भी स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सीखने की बात

जिला प्रशासन मंडला द्वारा की गई पहल व प्रयासों से ''कोदो–कुटकी'' तिहार उत्सव आयोजित किया गया। उत्सव को जनप्रिय व महत्वपूर्ण बनाने के लिये हर संभव प्रयास किये गये। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय, स्पष्ट मार्गदर्शन, योजनाबद्ध तरीके से उत्सव की व्यवस्थाओं का संचालन व क्रियान्वयन किया गया।

जिला मंडला में आयोजित ''कोदो–कुटकी'' तिहार उत्सव से जहां एक ओर स्थानीय बैगा एवं आदिवासी संस्कृति को जनमानस तक पहुॅचाने का प्रयास हुआ वहीं दूसरी ओर स्थानीय उत्पादों को विपणन क्षेत्र में नये अवसर उपलब्ध हुये। इस उत्सव से आजीविका मिशन के स्व–सहायता समूहों व स्थानीय ग्रामीण उद्यमियों में उत्साह का संचार हुआ है। जिला प्रशासन मंडला का यह प्रयास प्रदेश के अन्य जिलों व अन्य राज्यों के लिये भी अनुकरणीय बन सकेगा।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

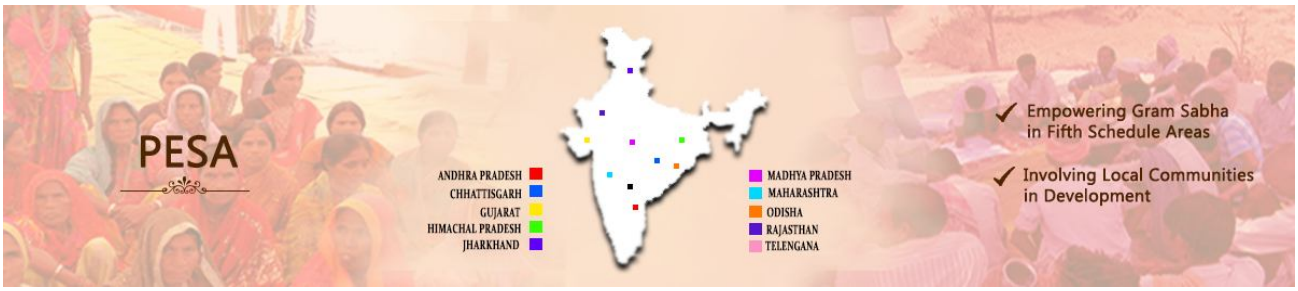

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ड के खण्ड (4) (ख) में अपेक्षित अनुसार संसद में ''पंचायत उपबंध'' (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया गया है। इस अधिनियम को प्रभावशील करने का मुख्य उद्देश्य संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की पंचायतराज संस्थाओं का सशक्तिकरण है।

'पेसा' – एक कानून

'पेसा' एक सरल लेकिन व्यापक और शक्तिशाली कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों को अपने क्षेत्र के संसाधनों और गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण देने की शक्ति देता है। यह अधिनियम संविधान के भाग IX का, जोकि पंचायतों से संबद्ध है, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करता है। 'पेसा' के जरिए पंचायत प्रणाली का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है जिसमें अधिनियम में उल्लेखित कुछ अपवाद और संशोधन शामिल हैं।

'पेसा' की अनुकूलता

'पेसा'बाक्स 1.2 में उल्लेखित नौ राज्यों के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है। 'पेसा' के प्रावधानों को लागू करने के वास्ते राज्य विधानमण्डलों के लिए अपने–अपने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कानून बनाना आवश्यक था। इन कानूनों में न केवल 'पेसा' के सभी विंदुओं को शामिल किया जाना था बल्कि उनमें केन्द्रीय 'पेसा' को ध्यान में रखते हुए शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का आवंटन किया जाना था। साथ ही, राज्यों के लिए यह जरूरी था कि वे अपने संबद्ध पंचायत कानूनों या संबद्ध विषय कानूनों या दोनों को केन्द्रीय कानून के समकक्ष लाने के लिए उनमें आवश्यक संशोधन करें।

'पेसा' का महत्व

विकेन्द्रीकृत स्वशासन का मुख्य उददेश्य गांव के लोगों को स्वयं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देना है। ऐसे विकेन्द्रीकरण के लिए एक संस्थागत ढ़ाचे की आवष्यकता है तथा साथ–साथ ढ़ाचे के भीतर ही शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का आवंटन भी जरूरी है। 'पेसा' ग्रामीण समुदाय को शासन की मूल इकाई के रूप में स्वीकार करता है और पंचायतीराज संस्थाओं की विभिन्न स्तरों पर स्थापना का उल्लेख करता है। ग्राम स्तर पर यह ग्रामसभा के गठन का प्रस्ताव करता है। ग्राम सभ ग्राम पंचायतों का चुनाव करती है जाकि ग्रामसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन अनिवार्य है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को संयुक्त रूप से उपयुक्त स्तर पर

पंचायत कहा जाता है। साथ ही, 'पेसा' ग्रामीण समुदाय को गांव के विकास की योजना बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और परंपरागत रीति–रिवाजों और प्रथाओं के तहत विवादों को सुलझाने का अधिकार भी देता है। यह सशक्तिकरण पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

इस अधिनियम में कुल पाँच धाराएँ है। जिनमें निम्नांकित प्रावधान है :–

धारा – 1 में अधिनियम का नाम उल्लेखित है।

धारा – 2 में परिभाषाएँ है, जिसमें एक मात्र शब्द ''अनुसूचित क्षेत्र'' को परिभाषित किया गया है।

धारा – 3 में संविधान के भाग–9 के उपबंध अर्थात् 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को ऐसे अपवाद और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए जैसा कि इस अधिनियम की धारा – 4 मे उल्लेख है, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में विस्तार किया गया है।

धारा – 4 में अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम–सभा और पंचायतों के कृत्य और शक्तियों को वर्णित किया गया है।

धारा – 5 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम से प्रभावित केन्द्र/राज्य के अधिनियमों में एक वर्ष के भीतर संषोधन कर संगत प्रावधान किए जाएंगे और यदि एक वर्ष के भीतर संशोधन नहीं किए जाते हैं तो इस अधिनियम अर्थात् पेसा एक्ट, 1996 के प्रावधान लागू हो जावेंगे।

नीलेश कुमार राय
संकाय सदस्य

नवादपुरा नवाचार और सांवरिया

गांव नवादपुरा, जिला धार, भगवान श्री सांवरिया सेठ मंदिर, संचालन के लिए 2018 में गठित सामाजिक संगठन ''सांवरिया फाउण्डेशन'' वर्तमान में ग्राम के शोषित, वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए ''आशाओं की एक नई किरण'' बनकर उभरा है। इस मंदिर में दान, दक्षिणा से प्राप्त होने वाली राशि को फण्ड के रूप में जमा कर ग्रामीण गरीब बच्चों को कपड़े, जूते, मौजे, और ईलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

नवाचार की अनूठी कहानियों के कमवार संकलन की मिसाल बन चुके गांव नवादपुरा, कुक्षी तहसील निसरपुर ब्लॉक, धार जिला के युवा कमल पटेल (ग्राम – पटेल) के करकमलों ने वस्तुतः प्रदेश में उनके निर्विरोध गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में प्रतिस्थापित करने में अग्रणी व अद्वितीय भूमिका निभाई है।

- खुले में शौच से मुक्त गांव के प्रत्येक घर को गुलाबी रंग सामाजिक समरसता का गुलाबी गांव
- शुद्ध पानी हेतु आरओ सिस्टम के साथ पानी का एटीएम–व्यवस्था और जागरूकता का अनुपम मेल
- पक्की सीमेंटीकरण सड़कें, ग्राम को 2017 में आईएसओ 9001.2008 प्रमाणन, सड़को को सुरक्षित बनाने हेतु सीसीटीबी कैमरे विकास और जेण्डर सेसिटिविटी एक सूत्र में
- स्कूल व चौपालों पर बागीचो का निर्माण बंजर भूमि पर पौधारोपण, पॉलीथीन, कपड़े की थैलियों का वितरण, सड़क के दोनो ओर वर्जित
- सेव व वेर के पौधों का रोपण, जैविक खाद, ड्रिप लाइन सिंचाई, और इनसे होने वाली

आय का उपयोग ग्राम हित में ग्रीन विलेज और पर्यावरण संरक्षण

- 2018 में दो आंगनबाड़ी को वातानुकूलित बनाने के साथ की विभिन्न प्रकार के बाल खिलौनों आदि सहित स्वीमिंग पूल की स्थापना–स्मार्ट विलेज
- **सांवरिया गौशाला–** जो आधुनिक गौशाला है, मौसम के अनुकूल वातावरण में रखरखाव, दुग्ध उत्पादन, शुद्ध देशी घी, गोबर के दीपक, गोबर के गणेश जी, गौमूत्र से जीवा अमृत के उत्पाद बाजार में ऑनलाइन बिक्री हेतु उपलब्ध है। ओएसआर
- बच्चों के लिए कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर, महिला कौशल प्रशिक्षण केन्द्र, जैविक खेती प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना पंचायत लर्निंग सेन्टर योजना के तहत–आत्मनिर्भर ग्राम आत्मनिर्भर भारत

- कोविड पेंडिमिक के पश्चात् वैक्सीनेशन के दौर में शुरूआती चरण में ही 100 प्रतिशत प्रथम डोज और 30 प्रतिशत दूसरी डोज लगा दी गई है। अवेयरनेस की ग्राम
- सालाना 8 लाख रूपये ग्रामीण बचत से 12 शिक्षकों की शासकीय स्कूल में नियुक्ति, स्मार्ट कक्षा, ए.सी., नक्षत्र वाटिका, शहीद मंदिर, मोहल्ला क्लास, स्वीमिंग पूल के साथ ही साथ रास्ट्र भक्ति और पर्यावरण प्रेम का पाठ सीखते स्मार्ट गांव के स्मार्ट बच्चे
- 8वीं कक्षा के बाद अध्ययन के लिए गांव से बाहर जाने वाली बेटियों के लिए गांव से ही एक जिती वाहन प्रतिदिन बनाने ले जाने की सुविधा प्रदान की गई खेती बचाओ बेटी पढ़ाओ को चरितार्थ करती पहल

हाल ही में भोपाल प्रशासन अकादमी में सम्पन्न दो दिवसीय कार्यशाला श्री कमल द्वारा की गई प्रस्तुती ने समस्त उपस्थित गणमान्यों में नई स्फर्ती का समावेश किया और प्रभावी उद्बोधन के माध्यम से जहॉ चाह वहॉ राह को उक्ति को चरितार्थ करते अपने गांव की सफलता को परिभाषित किया।

- बिना संदेश पधारो मेरे परिवेश जैसी उक्ति की सार्थकता के प्रति भी बचनबद्धता व्यक्त करते कमल पटेल युवा पीढी के समक्ष एक आदर्श को प्रतिबिम्बित करते है।

श्रृद्धा सोनी
मु.का.अ.ज.प्र.

प्रधानमंत्री आवास ने बदली मूकबधिर एवं श्रवणबाधित कल्याणी महिला की जिंदगी

शाजापुर जिले के जनपद पंचायत शाजापुर की ग्राम पंचायत चौसला कुल्मी में अपने 02 बच्चों के साथ कच्चे मकान में रह रही कल्याणी (विधवा) महिला भागवंता बाई जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है जैसे तैसे मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही थी कोई सहारा देने वाला नहीं था। इस महिला की जिंदगी में उस दिन खुशी का ठिकाना ना रहा जब प्रधानमंत्री आवास सूची में उसका नाम आया। जनपद से इस हितग्राही महिला के खाते में आवास की पहली किश्त रूपये 40,000/– प्रदाय किये गये किन्तु उसकी अनपढ और मूकबधिर तथा श्रवणबाधित होने की बेबसी के कारण बैंक वाले भी मजबूर हो गये और उसे राशि आहरित नहीं कर रहे थे। आखिर विश्वास कैसे करते कि वह पैसे उसे मिलेंगे। महिला के साथ गये रोजगार सहायक द्वारा बहुत बिनती की गई किन्तु बैंक कर्मचारी ने भी अपनी विवशता बता दी।

ऐसी परिस्थिति में जब रोजगार सहायक द्वारा जनपद में जाकर सीईओ महोदया को अवगत कराया गया तो महोदया के द्वारा उस महिला से मिलकर तत्पश्चात इस संबंध में ग्राम पंचायत से आवेदन लेकर बैंक मैनेजर को पत्र लिखा गया एवं महोदया ने स्वयं बैंक मैनेजर से बात की तथा महिला को पैसे आहरित करने का अनुरोध किया गया । इस तरह 1–1 करके सभी किश्ते मिलने पर उस महिला का पक्का घर तैयार हो गया ।

चूंकि महिला का कोई सहारा नहीं था इसलिये ग्राम पंचायत ने पूरा सहयोग किया (सरपंच–श्रीमती ममता बाई, सचिव–श्री राधेश्यामद

दायमा, जीआरएस–दिनेश परमार)। आज महिला खुशी–खुशी अपने बच्चों के साथ कच्चे मकान से निजात पाकर पक्के आवास में रह रही है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक कल्याणी मूकबधिर श्रवणबाधित, गरीब एवं बेसहारा महिला की जिंदगी को खुशियों से भर दिया वह महिला सरकार एवं ग्राम पंचायत का बहुत आभार व्यक्त करती है।

पूजा मालाकार
सहायक संचालक

आजीविका के माध्यम से स्थिति हुई सुदृढ़

यह कहानी मॉ गायत्री आजीविका समूह की अध्यक्ष श्रीमती दीपा बाई पति गोपीलाल अ.ज.जा. उम्र 35 वर्ष शिक्षा 5 वी जनपद पंचायत महीदपुर की है इनके परिवार में कुल 7 सदस्य है पति, पत्नी के अलावा इनकी 5 पुत्रियां है। इनके पति कृषि मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे।

परिवार के कमाऊ सदस्य मात्र एक होने से परिवार का भरण–पोषण बडी ही कठिनाई से हो रहा था आर्थिक स्थिति अत्यंत ही कमजोर थी। आजीविका मिशन के माध्यम से समूह का निर्माण किया गया 5 वी पास होने के कारण इन्हे समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। समूह द्वारा सभी सदस्यों कि नियमित बैठक व बचत की जाने लगी नियमित संचालन होने से आरसेटी के माध्यम से समूह की सभी सदस्यों को सिलाई कार्य का प्रषिक्षण दिया गया। दीपाबाई द्वारा बड़ी ही लगन से सिलाई कार्य को सीखा गया। सिलाई कार्य का कौशल प्राप्त होने के पश्चात इनके द्वारा व्यक्तिगत सिलाई कार्य प्रारम्भ किया गया, जिससे इनकी प्रतिदिन 200–300 रूपये की आमदनी प्राप्त होने लगी तथा जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति निरंतर ठीक होने लगी समूह द्वारा अच्छे कार्यो को देखने के कुछ दिनों पश्चात आजीविका मिशन के माध्यम से गणवेश सिलाई का कार्य मिला कार्य पूर्ण होने पर इनके समूह को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा जिससे समूह के सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

आजीविका मिशन में जुड़ने से दीपाबाई के परिवार का जीवन खुशहाली पूर्ण व्यतीत हो रहा है। शासन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना होने से गरीब परिवारों को आर्थिक स्थिति सुधारने की बहुत अच्छी एवं उपयोगी योजना सिद्ध हुई है।

प्रकाश पुरकर,
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभान्वित जनपद पचायत महिदपुर की ग्राम पंचायत असाड़ी के ग्राम अरन्या बागड़ा के हितग्राही श्री मानु पिता गणपत आवास की आईडी 1937940 भी शामिल हैं। श्री मानु के पिता ग्राम के चौकीदार थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं । पुत्र मानु को पिता से विरासत में गरीबी, कर्ज और मात्र 1 बीघा जमीन मिली थी । जिनके सहारे स्वयं, पत्नी और 3 बच्चों का भरण पोषण करने की कठिन जिम्मेदारी निभाने की चुनौती थी क्योकि 1 बीघा जमीन की उपज से 5 सदस्यों का पेट भरना संभव नहीं था।

मकान के नाम पर कच्ची झोपड़ी जिसमें बरसात के मौसम में हर जगह पानी टपकता और जहरीले जीव जन्तुओं से स्वयं और नन्हे बेटा–बेटी को बचाना दुष्कर होता था। श्री मानु परिवार के भरण पोषण के लिये लाल में 6 महीने परिवार सहित पड़ोसी राज्य राजस्थान में मजदूरी करने जाता था ।

वर्ष 2018–19 में मानु का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में ग्राम पंचायत को मिले लक्ष्य में आ गया जिससे पूरा परिवार प्रसन्न हुआ । लेकिन चुनौती कठिन थी मकान बनाने के लिये पति और पत्नी को भी मजदूरी करना थी और अन्य जरूरतों के लिये राजस्थान मजदूरी करने भी जाना था । फिर भी परिवार अपने पक्के मकान के सपने को पूरा करने जुट गया। 1 अप्रेल 2018 को पहली किश्त के

रू. 25000/–मिलते ही मकान का काम प्रारंभ किया और फुर्ती से दूसरी व तीसरी किश्त के रू. 40– 40 हजार के मापदंड का काम पूरा कर छत स्तर तक आवास बना लिया। लेकिन गरीब की परीक्षा ईश्वर ने भी लेने की ठानी और पूना के बच्चे की बीमारी के कारण उन पर कर्जा हो गया । जिसके कारण जो आवास माह अक्टूबर 2018 में पूरा बन जाना था वो लगभग 2 वर्ष तक अपूर्ण रहा।

लेकिन खुद्दार पूना ने 1 वर्ष के अंतराल में मजदूरी कर पैसा एकत्र किया और लॉकडाउन के दौरान राजस्थान से आकर अपना अधूरा सपना अधूरा मकान पूरा कर लिया। आज पूना और उसका परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिले आवास में प्रसन्न और सुरक्षित है।

राजेन्द्र जोशी,
संकाय सदस्य

वृक्षारोपण गीत

वसुंधरा को हरीतिमा की
चादर हम ओढ़ाये,

वृक्षारोपण हम कराये
तपन प्रदूषण झेले क्यूँ

ऑक्सीजन को क्यूं तरसे
क्यूँ ना हम बादल बनकर

बंजर धरती पर बरसें
सुख समता के फूल हम

आओ मिलकर खिलाये
वृक्षारोपण हम कराये .....

हम बदलें धरती की दषा
मौसम का रंग बदलें

हम बदलें दुनिया का चलन
जीने का ढंग बदलें

वृक्षारोपण के गीत हम
सबको मिलकर सुनायें

वृक्षारोपण हम कराये
वसुंधरा को हरीतिमा की

चादर हम ओढ़ाये,
वृक्षारोपण हम कराये

प्रतीक सोनवलकर,
संयुक्त आयुक्त

मानव जीवन एवं पर्यावरण

मानव जीवन ईश्वर की अनुपम देन है। यह ऐसा स्वर्णिम अवसर है जिसके द्वारा मनुष्य यह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जो यह पता है अपने को सुनियंत्रित व्यक्ति के रूप में गढ़ सकता है एवं आलौकिक आनन्द से भरापूरा जीवन जी सकता है। उसी मनुष्यका जीवन सार्थक है, जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर लिया है। आधुनिक जीवन शैली भोगवादी प्रवृत्ति की होती जा रही है। मनुष्य सुख एवं ऐश्वर्य में अभिवृद्धि एवं विस्तार को सफलता का सूचक मानता है एवं इसे प्राप्त करने के लिये लगतार प्रयासरत है। इसे प्राप्त करने में यह सही गलत, उचित–अनुचित का भेद नहीं कर पा रहा है। भौतिक सुखों की प्राप्ति ऐशोआराम में उन्मुक्त हम हमारी संस्कृति एवं जीवन मूल्यों को भूलते जा रहे है। कभी न समाप्त होने वाले आवश्यकताएँ नित्य बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में विज्ञान एवं अर्थतंत्र के गले मिलने के कारण नित नये प्रयोग/ अविष्कार प्रयास किये जा रहे है ताकि मानव जीवन सुगम एवं सुखी बन सके। यह अधिकार प्रयास/प्रयोग हमारे परिवेश एवं पर्यावरण को प्रभावित कर रहे है। अतः आवश्यक है कि यह अभिवृद्धि स्वस्थ एवं संतुलित हो ,इसके अभाव में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नित नये आयाम प्रगति के वरदान के साथ ही अभिशाप भी बनते जा रहे है। कोरोना महामारी इसकी पहली, दूसरी ओर अब तीसरी लहर का आना इसके उदाहरण है।

हमारा पर्यावरण संतुलन में बदलाव से होने वाले प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगीकरण के नाम पर बने कारखानों ने संसार भर में वायु एवं जल प्रदूषण भर दिया है। अणुशक्ति की बढ़ोत्तरी ने विकिरण से वातावरण को इस प्रकार विकसित किया है कि ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग ने संसार का तापमान बढ़ा दिया है । कीटनाशक मिलकर पृथ्वी की उर्वरता को बदल कर रख रहे हैं। खनिजो के अन्धाधुन्ध खनन से धातुओं और खनिज तेलों का भंडार समाप्त हो रहा है। बढ़ते हुए कोलाहल से व्यक्ति और पगलाने लगे हैं भोज्य पदार्थ विषाक्त हो रहे है। जल पीने योग्य नहीं रहा है एवं वायु स्वसन हेतु उपयुक्त नहीं रह गई है। सिनेमा, टी.बी. मोबाइल इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप पर कामुक उत्तेजनाओं को जिस प्रकार प्रदर्शन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप जीवन शक्ति, बौद्धिक प्रखरता और शीत सदाचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पॉलीथिन असुरक्षित उपयोग से न केवल हमारे स्वास्थ पर असर पड़ रहा है। घर भूमि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। शहरों कस्बों के खेतइससे पटे जा रहे है ,इसके कारण पानी का बहाव प्रभावित हो रहा है एवं बाढ़ की स्थिति बन रही है। वही पानी के जमाव एवं भराव से डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया आदि के वाहक मच्छरों की अभिवृद्धि के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है।

प्रदूषित पर्यावरण के कारण हमारा वातावरण प्रभावित हो रहा है। मौसम में बदलाव ,तापमान में वृद्धि, अतिवर्षा, सूखा, भूमिक्षरण बनों एवं जीव जंतुओं के विनाश के साथ ही मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अस्थमा, पेट की बीमारियों, कैंसर, चर्मरोग, सीने में दर्द, हृदय संबंधी बीमारियाँ इन्हीं प्रदूषणों के कारण हो रही है। सुख सुविधा एवं मनोरंजन के साधनों ने के असीमित एवं अनियंत्रित उपयोग से मनुष्य आलसी बनता जा रहा है। जहाँ शारीरिक व्यायाम कम हो गया है, यही लगातार बैठक में मोटापा बढ़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, मनोरोग के प्रकरण बढ़ते जा रहे है। प्रकाश प्रदूषण से दृष्टि प्रभावित हो रही है। पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व दिया गया है। पर्यावरण ने अपने असंख्य

उपादानों के साथ मानव जीवन को खुशहाल एवं सुखमय बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मनुष्य एवं प्रकृति के संबन्ध को भारतीय ऋषियों ने बड़ी गहराई से समझा था। इसी कारण भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव अस्तित्व । संरक्षण का प्रबल भाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग था एवं हमारे व्रत त्योहारों एवं नियमित क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ था। यहाँ कभी भी प्रकृति के उपादानों को मनुष्य से भिन्न नहीं देखा गया ।

वैश्विक एवं शासकीय/ तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों में प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। परिवेश एवं घर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ ही यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पृथ्वी, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलायेंगे। इस हेतु स्वयं भी प्रेषित होंगे एवं अन्यों को भी प्रेषित करेंगे। यदि हम पर्यावरण को प्रदूषण के विनाश से बचा नहीं पायें तो प्राकृतिक आक्रोश झेलने के लिए तैयार रहना चाहिये। परिवेश एवं पर्यावरण के अतिरिक्त वातावरण की एक और परत/ आवरण होता है जो अदृश्य होता है एवं उस स्थान की हवाओं में व्याप्त विचारों भावनाओं व प्राण प्रवाह का होता है। यह आवरण सकारात्मक व नकारात्मक विचारों अच्छी बुरी भावनाओं का मिला–जुला मिश्रण होता है। इस से व्यक्ति की सोच प्रभावित होती है। अतः हमें प्रेरणा के स्त्रोत आध्यात्मिक वातावरण के सुधार पर भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह हमारे तन मन व जीवन को प्रभावित करते है। यदि वातावरण की वैचारिक एवं भावनात्मक ऊर्जा प्रेरक एवं सकारात्मक है तो उस स्थान में रहने वालों के मन प्रसन्न रहेंगे, जीवन सही दिशा में गतिशील रहेगा एवं अंतर्मन में नई नई प्रेरणाओं का प्रवाह उमड़ता रहेगा तथा भौतिकवादी जीवन शैली में बदलाव के लिये उत्प्रेरक का कार्य करेगा।

घनश्याम सिंह लोहिया,
संकाय सदस्य

पीढ़ी अंतराल क्या ?

मेरा बेटा मेरी बात मानने को जरा भी राजी नहीं होता, मैं क्या करूं? यह बात महत्त्वपूर्ण है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं, सारे युग का सवाल है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक बड़ा गैप खड़ा हो रहा है और यह गैप प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। पुराने जमाने में यह गैप नहीं था, उसके कारण थे द्य उस समय शिक्षा प्रणाली नहीं थी। आज शिक्षा प्रणाली आ गई है।

आज एक बूढ़े डाक्टर का जवान बेटा जब मेडिकल कालेज से डाक्टर बनकर लौटता है तो वह अपने बाप से बहुत ज्यादा जानता है। उसकी नजरों में बाप आउट आफ डेट हो चुका है, वह बीस–पच्चीस साल पुराना इलाज कर रहा है, बाप वह दवाइयां लिख रहा है जो प्रचलन के बाहर हो गई हैं। वह उस विधि से आपरेशन कर रहा है जो उसने सीखी थी पच्चीस साल पहले। वह कब की आउट आफ डेट हो चुकी है। उसका बेटा जो अभी–अभी डाक्टरी सीखकर आया है, इसको लेटेस्ट नालेज है। अब यह बेटा बाप का सम्मान नहीं कर पाएगा। पुराने जमाने में एक बढ़ई का बेटा हमेशा अपने बाप का सम्मान करता था क्योंकि उसका पिता ही उसका शिक्षक था।

छोटी उम्र से उसने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया, पिता उससे बीस साल बड़ा है और वह हमेशा बीस साल बड़ा रहेगा, बीस साल ज्यादा अनुभवी रहेगा। यह बेटा अपने पिता से ज्यादा अच्छा कारपेंटर नहीं बन पाएगा, कभी भी ! इसके मन में पिता के प्रति सदा सम्मान रहेगा। जो बेटी अपनी मां से खाना पकाना सीखेगी, बहू अपनी सास से गृह–व्यवस्था चलाना सीखेगी, निश्चित रूप से वह अपनी मां और सास से ज्यादा अनुभवी कभी नहीं बन पाएगी। इनके मन में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान रहेगा। पुराने जमाने की बात अलग थी।

जब से शिक्षा प्रणाली आई तब से स्तिथि पूरी पलट गई है। इस नई परिसिथति में हमें रीऐडजस्ट करना होगा, अपने आपको समायोजित करना होगा। अब अगर सास सोचती है कि उसकी बहू उसका सम्मान

करे तो यह बड़ा मुशिकल मामला है। बहू होम साइंस में एम.एस.सी. करके आई है, उसे इंटरकान्टीनेंटल खाना पकाना आता है और यह सास गांव की गंवार पुराने ढंग का खाना बना रही है। वह बहू आकर कहेगी कि तुम बिल्कुल अनहाइजिनिक तरीके से खाना बना रही हो, तुम्हें साफ–सफाई का पता नहीं, इसमें बैक्टीरिया हो जाएंगे। अब उस बेचारी सास ने तो बैक्टीरिया का नाम ही नहीं सुना था। वह कहेगी कि हम पचास–साठ साल से ऐसे ही खाना बना रहे थे और सब ठीक–ठाक चल रहा था और अब तुम आकर बीच में टांग अड़ा रही हो कि ये विधि गलत है। अब ये बहू सास से कुछ सीख तो सकती नहीं क्योंकि ये तो पहले से ही ज्यादा सीखकर आई है। चूंकि ये सास से ज्यादा जानती है इसलिए इसके मन में सास के प्रति ज्यादा सम्मान नहीं रह सकता।

अगर आज पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से सम्मान हासिल करना है तो कुछ नई गुणवत्ताएं पैदा करनी होंगी। पुराने जमानेमें उम्र की वजह से सम्मान नहीं था, ज्ञान की वजह से सम्मान था। माता–पिता,वृद्धजन युवकों से ज्यादा ज्ञानी थे औरहमेशा ज्यादा ज्ञानी ही रहते थे। इसलिएउनका सम्मान था, उम्र का सम्मान नहीं था। हम भूल में हैं, हम सोचते हैं कि पहले बुजुर्गों की इज्जत होती थी और अब नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। पहले भी बुजुर्गों की इज्जत नहीं थी, उनके ज्ञान की, उनके अनुभव की इज्जत थी। अब आज वह सिथति तो नहीं हो सकती। या तो तुम्हें हमेशा अपटूडेट होना होगा, हमेशा नया सीखने को तत्पर होना होगा, वरना तुम्हारे बेटे आएंगे और पूछेंगे कि पापा कंप्यूटर चलाना आता है? तुम कहोगे नहीं। अब उनकी नजरों में तुम अनपढ़ गांव के गंवार जैसे लगोगे। यह बेटा अब बाप की इज्जत नहीं कर पाएगा।

अगर बाप चाहता है कि उसकी इज्जत हो तो उसे नई गुणवत्ताएं पैदा करनी होंगी। ज्ञान के बारे में तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता, एक सीमा है उसकी, सीखने की एक उम्र होती है, उसके बाद सीखना बहुत मुशिकल है। लेकन दूसरी चीजें हो सकती हैं। तुम्हारा हृदय ज्यादा प्रेमपूर्ण हो, तुम ज्यादा करुणावान बनो, तुम्हारे भीतर भाईचारे की भावना हो, तुम एक ज्यादा अच्छे मनुष्य साबित होओ तब हो सकता है कि तुम्हारा बेटा, कि तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी तुम्हारा सम्मान कर पाएंगे। ज्ञान की वजह से अब सम्मान नहीं मिलेगा। पीढ़ी–अंतराल और भी तीव्र गति से बढ़ता चला जाएगा। नई पीढ़ी से निवेदन करने की भाषा सीखो। संवाद की नई कला विकसित करनी होगी, पुराने ढंग की आज्ञाएं नहीं चलेंगी कि दशरथ ने राम से कह दिया कि चले जाओ चौदह वर्ष के लिए वनवास, तो रामचन्द्र जी पैर छूकर चले गए।

अब तुम अपने बेटे से अगर ऐसा कहोगे तो बेटा पच्चीस सवाल पूछेगा कि क्यों चले जाएं, आपका दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे में सठिया गए हैं, आप खुद ही क्यों नहीं चले जाते, वानप्रस्थ होने की उम्र तो आपकी है। अब कोई तुम्हारी आज्ञा नहीं मानने वाला, अब वे दिन गए। अब अगर तुम्हें कोई बात कहनी है तो तर्कयुक्त ढंग से कहनी होगी, वैज्ञानिक ढंग से समझानी होगी,उसे सिद्ध करना होगा कि जो तुम कह रहे हो वह सही है। अगर वह समझदारी की बात होगी तो कोई सुनेगा, वरना कोई नहीं सुनेगा।

बच्चों के अपने तर्क होंगे। भाषा बदल गई है, जमाना बदल गया है, सारी परिस्थिति भी बदल गई है। अब पुराने ढंग का मान–सम्मान नहीं मिल सकता अब तुम्हें भी बदलना होगा।

राजेन्द्र प्रसाद खरे,
संकाय सदस्य